

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषय :- पत्रांक 161598 दिनांक 03.09.13 मुख्यमंत्री सचिवालय, जन शिकायत कोषांग से प्राप्त परिवाद पत्र श्री अविनाश पासवान, उप मुखिया, पिता- स्व० प्रभु पासवान, ग्राम- पंचायत- सिंघाड़ा बुजुर्ग, थाना- महुआ, जिला-वैशाली के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक परिवाद पत्र, मुखिया, पंचायत सेवक, प्रखण्ड- नाजीर एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, से संबंधित प्रखण्ड की सभी विकास योजनाओं से जुड़ी है।

उक्त परिवाद पत्र में मुखिया को पंचायती कार्य करने में असमर्थ बताते हुए पदच्युत करने की मांग की गयी है तथा इनके स्थान पर सक्षम मुखिया का चयन करने की मांग भी की गयी है।

संभवतः उक्त प्रक्रियागत विषयक मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

अनुलग्नक: परिवाद पत्र की मूल प्रति :-चार पृष्ठ।

विश्वसभाजन

(पंकज कुमार सिन्हा)

लोकपाल मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक २११७

/अभिकरण, हाजीपुर

दिनांक २७-१२-०१३

प्रेषक,

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषय:-

जिला पदाधिकारी, वैशाली के जनता दरबार के परिवाद पत्र को जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में। परिवाद संख्या 1175 दिनांक 18.04.2013

संदर्भ:-

पत्रांक 1281 / अभिकरण, वैशाली, दिनांक 03.08.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, वैशाली के पत्रांक 552 दिनांक 22.04.2013 से प्राप्त जिला पदाधिकारी, वैशाली के जनता दरबार के परिवाद पत्र/ शिकायत पत्र की जांच से संबंधित तथ्य एवं निष्कर्ष तथा कार्यक्रम पदाधिकारी का प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

शिकायत की विवरणी:- मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर किये गये गड़बड़ी की जांच के संबंध में।

ग्राम पंचायत- भानपुर बड़ेवा, प्रखण्ड- गोरौल


शिकायतकर्ता का नाम एवं पता-

श्री अरविन्द कुमार (उप मुखिया) व अन्य वार्ड सदस्य।

ग्राम पंचायत- भानपुर बड़ेवा,

प्रखण्ड- गोरौल, जिला- वैशाली।

विश्वासभाजन



लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक

/अभि०, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपि:

जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह- जिला पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला- वैशाली

दिनांक	शिकायत संख्या 21/13-14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
27.12.13	<p>यह शिकायत पत्र श्री अरविन्द कुमार (उप मुखिया) एवं अन्य वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत-भानपुर बड़ेवा, प्रखण्ड- गोरील, जिला- वैशाली के दिनांक 23.08.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत-पत्र में लगाये गये आरोप निम्न है :-</p> <p>प्रखण्ड गोरील अन्तर्गत ग्राम पंचायत भानपुर बड़ेवा की मनरेगा योजनाओं में मजदूरों की मजदूरी का सारा पैसा मुखिया पति, पंचायत रोजगार सेवक एवं बिचौलियों द्वारा हड़प लिया गया। पंचायत में जॉब कार्डधारी मजदूरों से चार-पाँच महीना काम करवाकर पैसा नहीं दिया गया और उसके पासबुक से पैसा की निकासी कर ली गयी। पंचायत में गरीब जॉब कार्डधारी मजदूर को काम नहीं देने, वृक्षारोपण कार्य के तहत सभी स्थानों पर मिलकर चार-पाँच चापाकल गाड़कर सिर्फ कागजी खाना-पूर्ती करके अपने चहेते लोगों के दरवाजे एवं घर में गड़वा दिया गया है।</p> <p>शिकायतकर्ता का आगे यह भी कहना है कि इस पंचायत में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्य में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है और कहीं विकास संबंधी कार्य नहीं हुआ है। लेकिन कागज पर सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। धरातल पर कुछ भी नहीं है।</p> <p>शिकायतकर्ता के शिकायत-पत्र के संबंध में पत्रांक 1493 दिनांक 27.08.2013 द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरील से जांच प्रतिवेदन तथा कृत कार्रवाई की मांग की गयी। शिकायत पत्र की पूर्ण व्यापकता एवं सार्थकता हेतु श्री राकेश कुमार, सहायक अभियंता, हाजीपुर (वैशाली) से भी पत्रांक 1494 दिनांक 27.08.2013 द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। परन्तु सहायक अभियंता द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। काफी प्रयत्न के पश्चात् पत्रांक 98 दिनांक 11.12.13 द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरील का प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सका। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया कि प्रश्नगत् शिकायत की जांच डाक अधीक्षक, वैशाली (हाजीपुर) एवं श्री अरुण कुमार गिरि, अध्यक्ष, ईटक (INTUC) वैशाली द्वारा भी पूर्व में की गयी थी।</p> <p>डाक अधीक्षक, वैशाली एवं ईटक अध्यक्ष ने अपना जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था। जांच प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरील द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जांच प्रतिवेदन तीन पृष्ठों का है। यह प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। यह प्रतिवेदन निष्कर्ष का हिस्सा होगा। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। दूसरी ओर शिकायतकर्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्ता या अन्य कोई वार्ड सदस्य उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>डाक अधीक्षक एवं ईटक (INTUC) वैशाली द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् शिकायत में मजदूरों के मजदूरी की राशि का भुगतान नियमानुसार किया गया है। डाकघर द्वारा भुगतान की जाने वाली कार्यवाही में भी अनियमितता बरतने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।</p> <p>कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरील ने अपने जांच प्रतिवेदन में बताया है कि प्रश्नगत् शिकायतों की जांच निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, वैशाली (हाजीपुर) श्रीमती संगीता सिंह द्वारा भी की गयी थी। जिसमें उन्होंने कोई भी अनियमितता नहीं पायी थी। शिकायतकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने एवं स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण विभागीय जांच को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।</p> <p>कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरील द्वारा भी स्वयं का प्रतिवेदन दिया गया है। जिसमें उनके द्वारा भी उक्त शिकायत-पत्र की जांच की गयी है जो निराधार पायी गयी। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत, भानपुर बड़ेवा, श्री कुमुद कुमार एवं मुखिया ग्राम पंचायत, भानपुर बड़ेवा श्रीमती सीमा देवी का कथन भी प्रस्तुत किया है। मुखिया द्वारा ग्यारह पंचायत सदस्यों एवं अन्य जॉब कार्डधारी जनता का हस्ताक्षर युक्त एक प्रतिवेदन दिया है कि शिकायत-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार है। सभी स्थलों पर आवश्यकतानुसार कुल</p>	

18(अटारह) चापाकल लगाये गये है। जॉब कार्डधारी मजदूरों का भुगतान डाकघर द्वारा किया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कथन में बताया है कि राशि के अभाव में भुगतान में कमी बिलम्ब हो सकती है। मगर कार्य करवाकर भुगतान नहीं दिया जाता है। यह निराधार एवं झूठा है। उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा ग्रामीण राजनीति से प्रभावित होकर बेबुनियाद शिकायत ग्राम पंचायत पर लगाने का आरोप लगाया है।

दिनांक 21.12.2013 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जांच भी की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत, भानपुर बड़ेवा, मुखिया पति श्री रामचन्द्र राय, प्रखण्ड कनीय अभियंता श्री राजीव कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक श्री अनुप कुमार एवं श्री रमेश कुमार के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।


मेरे स्थल निरीक्षण में वृक्षारोपण योजनाओं से संबंधित वनपोषकों से जानकारी प्राप्त की गयी। मौके पर उपस्थित योजना सं० 24/11-12 पर कार्यरत वनपोषक श्री शंकर दास, ग्राम-लक्ष्मी नारायणपुर ने बताया कि मुझे मजदूरी भुगतान 13000/- मिल चुका है। उसी योजना पर कार्यरत अन्य वनपोषक श्रीमती इन्दिरा देवी तथा हीरा दास ने बताया कि उनकी मजदूरी नहीं मिल पायी है। मुखिया पति श्री रामचन्द्र राय द्वारा बताया गया कि पौधों की संख्या कम रहने के कारण इनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान में मृत पौधों की जगह नए पौधे लगा दिये गये है। अतः इनकी मजदूरी का भुगतान की जायेगी। अन्य वनपोषक मजदूर श्रीमती शैली देवी, पति- श्री सहिन्द्र राम तथा श्रीमती उर्मिला देवी, पति श्री राम ईश्वर दास ने बताया कि उनकी मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। मुखिया पति द्वारा बताया गया कि इन लोगों ने कार्यस्थल पर प्रतिदिन उपस्थित रहकर कार्य नहीं किया है। जिस कारण पौधों की संख्या कम हो गयी है। पौधे पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के कारण ही इनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पायी है। इन्हें बताया गया कि उनका यह कार्य अवैधानिक है। योजनाएँ खुली हुई है। अर्थात् योजनाएँ चल रही है। फिर भी रोजगार का सृजन बाधित है। इसमें पंचायत रोजगार सेवक तथा योजना से जुड़े सभी प्रखण्ड, मनरेगा कर्मी इस शिथिलता के जिम्मेवार है। इन्होंने आश्वासन दिया कि सभी योजनाओं पर वनपोषकों को कार्य में लगाया जायेगा तथा कार्य की देखरेख करके पौधे के अनुसार मजदूरी की भुगतान कर दी जायेगी। इन्हें आदेश दिया जा सकता है कि एक सप्ताह के अन्दर सभी योजनाओं पर वनपोषकों का रोजगार सृजित करें तथा प्रतिदिन योजनाओं का निरीक्षण करें, ताकि मजदूरी का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जा सकें। अन्यथा योजनाओं पर व्यय की गयी राशि वसूलनीय होगी। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल तथा पंचायत रोजगार सेवक, भानपुर बड़ेवा करायेंगे।

वृक्षारोपण की योजनाओं की जांच की गयी। योजना सं० 02/11-12, 03/11-12, 04/11-12 तथा 02/11-12 में कुल 568 पौधे पाये गये। योजना सं० 13/11-12 में 180 पौधे, 23/11-12 में 182 पौधे, योजना सं० 24/11-12 में 172 पौधे, योजना सं० 25/11-12 में 184 पौधे, योजना सं० 26/11-12 में 122 पौधे, योजना सं० 27/11-12 में 192 पौधे पाये गये। योजनाएँ संतोषप्रद थी मगर कुछ अन्य योजनाओं में भी पौधों की संख्या कम थी। पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया को निदेश दिया जा सकता है कि उचित ऊँचाई एवं उचित किस्म के पौधों को 15 दिनों के अन्दर लगवा दें। इसका अनुपालन भी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

पंचायत रोजगार सेवक दिनांक 21.12.2013 को अपने कार्य क्षेत्र में अनुपस्थित रहने के कारण को स्पष्ट करें तथा मुखिया माह दिसम्बर 2013 के पंचायत रोजगार सेवक का Absenty प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करेंगे।

इन्ही निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जा सकता है।

हस्ताक्षर


लोकेश लाल, मनरेगा
वैशाली।